


रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2016/कार्तिक 16, 1938

No. 397]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2016/KARTIKA 16, 1938

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

**सं. 18-12/2016 सिद्ध (सिलेबस-पी.जी.).**—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (झ), (ञ) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर शिक्षा) विनियम, 1979 को उन बातों के सिवाय जहाँ तक वे सिद्ध चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर शिक्षा से सम्बन्धित है, अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है अथवा किए जाने का लोप किया गया है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से सिद्ध चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर शिक्षा को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियमों का निर्माण करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर सिद्ध शिक्षा) विनियम, 2016 कहा जाएगा।  
(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।
2. **परिभाषाएं:** (1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-  
(क) “अधिनियम” से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) अभिप्रेत है;  
(ख) “परिषद्” से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अभिप्रेत है;  
(ग) “मान्यताप्राप्त संस्थान” से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) एवं (ड.क) के अधीन यथा परिभाषित कोई अनुमोदित संस्थान अभिप्रेत है।  
(घ) “उपाधि” से अधिनियम की अनुसूचियों के अधीन मान्यताप्राप्त सिद्ध में उपाधि पाठ्यक्रम अभिप्रेत है।  
(2) यहां पर प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो यहाँ परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का अभिप्राय अधिनियम में उनके लिए दिए गए अर्थ से होगा।
3. **उद्देश्य और प्रयोजन -**  
(1) स्नातकोत्तर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिद्ध चिकित्सा में विशिष्ट ज्ञान का अधिग्रहण, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं में सिद्ध चिकित्सा से संबंधित कार्य जारी रखने हेतु सुयोग्य विद्वान, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, शिक्षक, सिद्ध चिकित्सा में निदानकर्ता, औषध निर्माण विशेषज्ञ, अनुसंधानकर्ता तैयार करना तथा व्यापक जागरूकता उत्पन्न करना है।  
(2) सिद्ध चिकित्सा में शिक्षण के स्नातकोत्तर स्तर पर अर्थात् डॉक्टर ऑफ मेडीसिन (एम.डी.) सिद्ध तथा मास्टर ऑफ सर्जरी (एम.एस.) सिद्ध में, छात्रों को आधुनिक चिकित्सा के मूलतत्वों तथा आधुनिक विज्ञान एवं प्रादुयोगिकी में नई पद्धति तथा प्रगति सहित उनकी संबंधित शाखा में सिद्ध चिकित्सा पद्धति के बारे में विस्तृत रूप से शिक्षा दी जाएगी।
4. **विशिष्टताएं जिनमें स्नातकोत्तर उपाधि संचालित की जा सकती हैं :-** स्नातकोत्तर उपाधियां निम्नलिखित विशिष्टताओं में, जैसा कि नीचे तालिकाबद्ध है, अनुज्ञात की जाएगी:-

क्र. सं.	विशिष्टता का नाम	नैदानिक अथवा गैर नैदानिक	विभाग जिसमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किया जा सकता है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पोथु मरुथुवम् (जर्नल मेडीसिन)	नैदानिक	मरुथुवम्
2	पुरा मरुथुवम् (एक्सटरनल थेरापी)	नैदानिक	सिराप्पु मरुथुवम्

3	कुंजनशर्मा मरुथुवम्	नैदानिक	कुंजनशर्मा मरुथुवम्
4	नन्तू मरुथुवम् (टोक्सीकोलॉजी)	नैदानिक	सलतम सामथ्र् मरुथुवम् एवं नन्तू मरुथुवम्
5	वर्मा मरुथुवम् (वर्मा मेडीसिन)	नैदानिक	सिराप्पु मरुथुवम्
6	थोई मरुथुवम् (डरमाटोलॉजी)	नैदानिक	मरुथुवम्
7	सिद्ध योगा मरुथुवम्	नैदानिक	सिराप्पु मरुथुवम्
8	अरुवई मरुथुवम्	नैदानिक	अरुवई मरुथुवम्
9	सूल एवं मंगालीर मरुथुवम् (ओवस्टेट्रिक्स एवं	नैदानिक	सूल एवं मंगालीर मरुथुवम्
10	सिद्ध मरुथुवा अदीपडई अरिवियाल (फण्डामेन्टल प्रीसिपल ऑफ सिद्ध )	प्री-नैदानिक	थोटारकिरमा अराईचियुम सिद्ध मरुथुवा वरलारुम
11	गुणापदम फार्माकोनोजी, फार्माकोलॉजी एवं	पैरा-नैदानिक	गुणापदम
12	नोई नाडल (पिथोलोजी एवं डायग्नोस्टिक)	पैरा-नैदानिक	नोई नाडल

**5. स्नातकोत्तर उपाधि की नामावली :-** सम्बन्धित विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर उपाधि की नामावली निम्नवत् होगी:-

क्र. सं.	विशिष्टता का नाम	संश्लिष्ट रूप
1	सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर पोथु मरुथुवम्	एम.डी. (सिद्ध) जर्नल मेडीसिन
2	सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर - गुणापदम्	एम.डी. (सिद्ध) मटेरिया मेडिका एवं फार्माकोलॉजी
3	सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर-पुरा मरुथुवम्	एम.डी. (सिद्ध) एक्टरनल थेरापी
4	सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर - कुजनशर्मा मरुथुवम्	एम.डी. (सिद्ध) पोडिएट्रिक्स
5	सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर - नोई नाडल	एम.डी. (सिद्ध) पैथोलॉजी एण्ड डायग्नोस्टिक मेथर्ड्स
6	सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर - नन्तू मरुथुवम्	एम.डी. (सिद्ध) टोक्सीकोलॉजी
7	सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर - सिद्ध मरुथुवा अदीपडई अरिविल	एम.डी. (सिद्ध) फण्डामेन्टल प्रीसिपल्स ऑफ सिद्ध मेडिसिन
8	सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर - वर्मा मरुथुवम्	एम.डी. (सिद्ध) वर्मा मेडिसिन
9	सिद्ध अरुवई मरुथुवा पेरारिगनर - अरुवई	एम.एस. (सिद्ध) सिद्ध सर्जिकल प्रोसिजर्स
10	सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर - सूल एवं मंगालि	एम.डी. (सिद्ध) ऑवस्टेट्रिक्स एवं गाइनेकोलॉजी
11	सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर - थोई मरुथुवम्	एम.डी. (सिद्ध) डेरमाटोलॉजी
12	सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर - सिद्ध योगा मरुथुवम्	एम.डी. (सिद्ध) सिद्ध योगिक साईन्स

**टिप्पणी 1-** सिराप्पु मरुथुवम् एवं नन्तू नूलम मरुथुवा एवं नन्तू नूलम मरुथुवा नीथी नूलम विभागों की स्नातकोत्तर उपाधियों की नामावली को पुनः नामित पुरा मरुथुवम्, सिराप्पु मरुथुवम् एवं योगम तथा सलतम सामथा मरुथुवामुम नन्तू मरुथुवामुम किया जाता है।

**टिप्पणी 2-**पुरानी नामावली के स्नातकोत्तर उपाधि धारक (सिराप्पु मरुथुवम् एवं नन्तू नूलम मरुथुवा नीथी नूलम) को भी नियुक्त किया जा सकता है जो सम्बन्धित विभाग में निरन्तर रहेंगे जो शिक्षक गत विनियमों के आधार पर योग्य माने गए हैं उन्हें संशोधन के आधार पर अयोग्य नहीं माना जाएगा।

**टिप्पणी 3-**विद्यमान छः स्नातकोत्तर विशेषज्ञताओं के शिक्षक नामतः क्रम संख्या 1 से 6 तक पुरानी या नई नामावली सिद्ध की सम्बन्धित विशेषता वाली मान्य स्नातकोत्तर अर्हता होगी, जबकि अन्य नई स्नातकोत्तर विशिष्टताओं के शिक्षकों की सम्बन्धित विशेषताओं में सिद्ध की अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित मान्य स्नातकोत्तर अर्हता होगी।

**6. स्नातकोत्तर संस्था जहां स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं स्नातकोत्तर संस्था जहां स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा नामतः:-**

- (1) स्नातक संस्था जो स्नातक पाठ्यक्रम के साठे चार वर्ष पूरे कर चुकी हो व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रारंभ के लिए आवेदन करने के योग्य होगी।
- (2) स्नातकोत्तर संस्थान भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 की समस्त न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी।

- (3) सम्बन्धित स्नातकोत्तर संस्थान के पास स्नातकोत्तर विशिष्टता के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 के अनुसार समस्त उपकरण एवं अनुसंधान की सुविधाएं होनी चाहिए।
- (4) संस्था के पास स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (सेन्ट्रल रिसर्च लेबोरेट्री) एवं एनिमल हाउस चाहिए। एनिमल हाउस स्वामित्व में अथवा सहयोग से हो सकता है।
- (5) पहले से अस्तित्व में स्नातकोत्तर संस्थान उप- विनियम 4 की आवश्यकता को 31 दिसंबर 2016 से पूर्व पूरा करेंगे।
- (6) अतिरिक्त सहायक स्टाफ अर्थात् बायोकेमिस्ट, फार्मा कॉलॉजिस्ट, बायो-स्टेडिस्ट्रीशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, की नियुक्ति होने चाहिए। उनकी शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धित विशेष में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।
- (7) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए सम्बन्धित विशेष में न्यूनतम अतिरिक्त अध्यापक (स्नातकीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अतिरिक्त) एक प्राध्यापक अथवा प्राचायक एवं एक व्याख्याता की आवश्यकता होगी एवं जो विशिष्टता स्नातक स्तर पर स्वतंत्र विभाग के अस्तित्व में न हो, वहाँ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक प्राध्यापक अथवा प्राचायक एवं एक व्याख्याता की होगी।
- (8) शैक्षणिक सत्र 2017-18 से स्नातकोत्तर विभाग अथवा विशिष्टता में न्यूनतम एक प्राध्यापक सम्बन्धित विषय या विशिष्टता में आवश्यक रूप से होना चाहिए।

(9) उडल कूरुगल, उडल थ्युवम, गुणापाडम-मरुशुडुयल, गुणापाडम-मरुथ्यकावियल, नोई नाडल एवं नोई मुथाल नाडल एवं अरुवई मरुशुवम विभागों में स्नातकीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अतिरिक्त निम्नलिखित गैर शैक्षणिक स्टाफ की आवश्यकता है।

(i) प्रयोगशाला तकनीनियन - 1 (एक)

(ii) प्रयोगशाला सहायक - 1 (एक)

(iii) परिवार अथवा चपरसी अथवा बहुदुरदेशीय कार्यकर्ता 1 (एक)

(10) संस्था के पास विशिष्टता अनुसार पूर्णतः सुसज्जित न्यूनतम सौ शै्याओं वाला अस्पताल जैसाकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा समय में विहित हो, होना चाहिए।

(11) उन स्नातकोत्तर संस्थानों में जहाँ साठ छात्रों तक स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है, दस स्नातकोत्तर सीट नैदानिक विषयों में शै्याओं की उन संख्या पर जैसाकि उप - विनियम (10) में विहित है स्वीकार्य होगी। दस से अधिक नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर सीटों के लिए उप-विनियम (10) में विहित शै्याओं से अतिरिक्त छत्र शै्या अनुपात 1:4 होगा।

(12) प्री नैदानिक एवं पैरा नैदानिक स्नातकोत्तर विषयों जैसाकि विनियम 4 के क्रम संख्या 10 से 12 में विहित है के लिए शै्याओं की आवश्यकता उप-विनियम (10) के अनुसार होगी।

(13) उन स्नातकोत्तर संस्थानों में जहाँ इकसठ् से सौ छात्रों तक स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है, वहाँ नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर सीट के लिए उप-विनियम (10) में विहित शै्याओं से अतिरिक्त छत्र : शै्या अनुपात 1:4 होगा।

(14) गत एक कैलेण्डर वर्ष के दौरान (अर्थात् 365 दिन एवं तीप वर्ष में 366 दिन) अन्तरंग रोगी विभाग में न्यूनतम आवश्यक वार्षिक शै्या अधिभोग 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए।

(15) न्यूनतम आवश्यक बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति गत एक कैलेण्डर वर्ष ( 300 दिन) के दौरान 120 प्रतिदिन (उन स्नातकोत्तर संस्थानों में जहाँ साठ छात्रों तक स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है) एवं 200 प्रतिदिन (उन स्नातकोत्तर संस्थानों में जहाँ इकसठ् से सौ छात्रों तक स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है) होनी चाहिए।

(16) नैदानिक विभागों में नैदानिक स्नातकोत्तर सीट के लिए बढाई गई प्रत्येक अतिरिक्त 20 शै्याओं के लिए एक क्लीनिकल रजिस्ट्रार अथवा वरिष्ठ आवासीय अथवा आवासीय डाक्टर की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

**7. स्नातकोत्तर संस्था जहाँ स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में नहीं है के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं :-** स्नातकोत्तर संस्था जहाँ स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में नहीं है निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेगा नामतः :-

(1) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्था के पास पूर्णतः सुसज्जित अस्पताल जैसाकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा जिनमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संयोजित किया जा रहा है में विहित होना चाहिए।

(2) स्नातकोत्तर संस्था के प्रशिक्षण के लिए सम्बन्धित विशिष्टता भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा के अनुसार समस्त उपकरण एवं अनुसंधान की सुविधाएं होनी चाहिए।

(3) स्नातकोत्तर संस्था के पास स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (सेन्ट्रल रिसर्च लेबोरेट्री) एवं एनिमल हाउस चाहिए। एनिमल हाउस स्वामित्व में अथवा सहयोग का होगा।

(4) पहले से अस्तित्व में स्नातकोत्तर संस्थान उप- विनियम (3) में यथा विहित आवश्यकता को 31 दिसंबर, 2016 से पूर्व पूरा करेंगे।

(5) अतिरिक्त सहायक स्टाफ अर्थात् बायोकेमिस्ट, फार्मा कॉलॉजिस्ट, बायो-स्टेडिस्ट्रीशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, की नियुक्ति होने चाहिए एवं उनकी शैक्षणिक योग्यता विषय विशेष में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष योग्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।

- (6) विषय विशेष में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए उस विषय के न्यूनतम तीन अध्यापक - एक प्राध्यापक, एक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक; अथवा एक प्राध्यापक अथवा एक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक एवं दो व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक; की आवश्यकता होगी।
- (7) अंशकालिक आधार पर शिक्षण के लिए संबंधित विषयक अंशकालिक शिक्षक नैसर्गिक भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएँ) विनियम, 2016 यथा विनियम में विहित है, होना चाहिए।
- (8) शैक्षणिक सत्र 2017-18 से स्नातकोत्तर विभाग अथवा विषय विशिष्टता में न्यूनतम एक प्राध्यापक आवश्यक रूप से होना चाहिए।
- (9) उडल कूरुनाल, उडल थायुवम, गुणापडम-मरुथुदयल, गुणापडम-मरुथाकावियल, नोई नाडल एवं नोई मुथाल नाडल एवं अरुवई मरुथुवम विभागों में निम्नलिखित गैर शैक्षणिक स्टाफ की आवश्यकता होगी।
- (i) प्रयोगशाला तकनीशियन - 1 (एक)
- (ii) प्रयोगशाला सहायक - 1 (एक)
- (iii) परिचर अथवा चपरसी अथवा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता 1 (एक)
- (10) उप - विनियम (9) में विहित विभागों के अलावा अन्य विभागों में निम्नलिखित गैर शैक्षणिक स्टाफ की आवश्यकता होगी:-
- (i) कार्यालय सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरटर - 1 (एक)
- (ii) परिचर अथवा चपरसी अथवा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता - 1 (एक)
- (11) संस्था के पास रोगी विभाग में न्यूनतम 100 शैया हों एवं गत एक कैलेण्डर वर्ष के दौरान (अर्थात् 365 दिन एवं लीप वर्ष में 366 दिन) अन्तरंग रोगी विभाग में न्यूनतम आवश्यक वार्षिक शय्या अधिभोग 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए।
- (12) अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग में रोगियों की उपस्थिति गत एक कैलेण्डर वर्ष (300 दिन) के दौरान न्यूनतम 120 रोगी प्रतिदिन होनी चाहिए।
- (13) पब्लिस स्नातकोत्तर सीटें नैदानिक विषयों में शैथ्याओं की उन संख्या पर नैसर्गिक उप - विनियम (11) में विहित है स्वीकार्य होंगी। पब्लिस से अधिक नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर सीटों के लिए उप-विनियम (11) में विहित शैथ्याओं से अतिरिक्त छात्र : शैथ्या अनुपात 1:4 होगा।
- (14) विशिष्ट नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान अस्पताल में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएँ) विनियम, 2016 विनियम में विहित है के अनुसार संबंधित बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग एवं प्रयोगशाला रखेंगे। प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या नैसर्गिक उप - विनियम (11) एवं 12 में विहित है तय करने के लिए संबंधित बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग में मरीजों की पूर्ण उपस्थिति देखी जाएगी।
- (15) गैर नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान अस्पताल में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएँ) विनियम, 2016 में विहित है के अनुसार कोई भी बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग एवं उससे संबंधित प्रयोगशाला रखेंगे। प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या नैसर्गिक उप - विनियम (11) एवं 12 में विहित है तय करने के लिए संबंधित बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग में मरीजों की पूर्ण उपस्थिति देखी जाएगी।
- (16) नैदानिक विभागों में नैदानिक स्नातकोत्तर सीट के लिए प्रत्येक 25 शैथ्याओं पर एक क्लीनिकल रजिस्टर अथवा वरिष्ठ आवासीय अथवा आवासीय डाक्टर की आवश्यकता होगी।

#### 8. प्रवेश की पद्धति.-

- (1) अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से सिद्ध मरुथुवा अरिन्नार (वैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एण्ड सर्जरी) उपाधि धारक और केन्द्रीय पंजीक भारतीय चिकित्सा पद्धति की राज्य पंजीका में प्रविष्ट व्यक्ति स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा।
- (2) विश्वविद्यालय या राज्य सरकार प्रवेश से सम्बन्धित प्रक्रिया का संवर्धन करेगी।
- (3) अभ्यर्थियों का चयन स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.जी.ई.टी.) के माध्यम से 80 अंकों में प्राप्त अंतिम प्रवेश सूचकांक के आधार पर ही किया जाएगा तथा स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.जी.ई.टी.) कुल 100 अंकों का होगा जिसमें 80 प्रतिशत अंक भार स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.जी.ई.टी.) के होंगे एवं 20 प्रतिशत अंक भार स्नातक पाठ्यक्रम में प्राप्त अंकों के होंगे।
- (4) 100 अंकों की स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.जी.ई.टी.) का बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का होगा जिसमें सिद्ध मरुथुवा अरिन्नार (वैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एण्ड सर्जरी) पाठ्यक्रम के सभी विषय समाविष्ट किए जाएंगे।
- (5) सामान्य श्रेणी अभ्यर्थियों के मामले में प्रवेश हेतु प्रवेश-परीक्षा के न्यूनतम पात्रता अंक कुल अंकों के पचास प्रतिशत अंक होंगे तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा नियमित सरकारी सेवा अभ्यर्थियों के मामले में चालीस प्रतिशत अंक होंगे और अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम पात्रता पैतालिस प्रतिशत अंक होंगे।
- (6) प्रायोजित अभ्यर्थियों को उप-विनियम (5) में विनिर्दिष्ट अंकों का प्रतिशत प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।
- (7) प्रायोजित विदेशी राष्ट्रियों (नागरिकों) को उप-विनियम (5) में विनिर्दिष्ट अंकों का प्रतिशत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (8) सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई नीतियों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होगा।

(9) कोई अध्यक्ष जिसे स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम की किसी विशिष्टता में प्रवेश मिल चुका हो उसे प्रवेश की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु किसी अन्य विषय में परिवर्तित होने या प्रवेश मांगने की अनुमति सीट की रिक्तता व गाइड की उपलब्धता होने पर दी जाएगी।

#### 9. पाठ्यक्रम की अवधि तथा उपस्थिति.-

- (1) प्रवेश के पश्चात् छात्र को तीन वर्ष की अवधि तक अध्ययन करना होगा।
- (2) परीक्षा देने की पात्रता के लिए कुल व्याख्यानों, क्रियात्मक और कर्त्वीकल ट्यूटोरियल या कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति कम से कम 80 प्रतिशत आवश्यक होगी।
- (3) छात्र को पाठ्यक्रम के अध्ययन के दौरान उसे निर्देशित असमताल में उपस्थिति और अन्य कर्त्व्यों का पालन करना होगा।
- (4) कर्त्वीकल विषयों के छात्रों को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान उनके संबंधित विभागों में आवासी (रेजिडेन्ट) चिकित्सक के रूप में कर्त्व्यों को करना होगा तथा नोन कर्त्वीकल विषयों के छात्रों को उनके सम्बन्धित विभागों जैसे- फार्मसी, वनीषाधि उद्यान, प्रयोगशाला के कर्त्व्यों को करना होगा।
- (5) छात्रों को शिक्षण विभागों द्वारा आयोजित विशिष्ट व्याख्यानों, प्रदर्शनों, विचार, गोष्ठियों, अध्ययन दौरे और ऐसे अन्य क्रियाकलापों में उपस्थित होना आवश्यक होगा।

(6) पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि प्रवेश की तिथि से 6 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(7) स्नातकोत्तर छात्र की उपस्थिति वेब आधारित केन्द्रीयकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली द्वारा और छात्र के स्नातकोत्तर विभाग के स्तर पर मैनशुल उपस्थिति आवश्यक होगी।

#### 10. प्रशिक्षण की अवधि.- (1) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में छात्र को सिद्ध के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं का ज्ञान प्राप्त करना होगा।

- (2) संबंधित विषय का शास्त्रीय ज्ञान तुलनात्मक गहन प्रशिक्षण के साथ प्रदान किया जाएगा।
- (3) व्यावहारिक एवं व्यक्तिगत प्रशिक्षण पर गहन जोर देना होगा।
- (4) छात्रों को सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान की तकनीक और तरीकों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना होगा।
- (5) नैदानिक विषयों के छात्रों को स्वतन्त्र रूप से रोगियों की चिकित्सा और प्रबन्धन तथा आपातकालीन चिकित्सा की जिम्मेदारी दी जाएगी।
- (6) छात्र को शिक्षण प्रौद्योगिकी व अनुसंधान विधियों का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा एवं पढ़ाई के दौरान स्नातक छात्रों अथवा इन्टर्न के शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लेना होगा।
- (7) नैदानिक प्रशिक्षण में छात्र को एक विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र काम करने का ज्ञान प्राप्त करना होगा।
- (8) अधिगम अनुभव में व्याख्यान, शैक्षिक तथा नैदानिक पक्ष पर समूह विचार विमर्श, विचार गोष्ठी, प्रयोगात्मक प्रदर्शनों, शोध-प्रबंध, विभिन्न प्रयोगशालाओं में नियुक्ति, चिकित्सा अध्ययन दौरा सम्मिलित होंगे।
- (9) सिद्ध चिकित्सा में सामयिक विकास का अद्यतन करने, चिकित्सा विज्ञान, औषध-क्रिया के नोबेल मेकेनिज्म, नोबेल श्रेणी जैसे पुर मस्युम, एकाकी सिद्ध औषध के नोबेल प्रयोग इत्यादि में प्रवृत्ति को उपर उठाने हेतु अध्ययन संगोष्ठि।
- (10) नैदानिक प्रस्तुतिकरण तथा विषय पर विचार विमर्श होगा जोकि छात्र द्वारा संकाय के निरीक्षण में किया जाएगा तथा छात्र को इसके लिए एक लॉग पुस्तिका का अनुरक्षण आवश्यक रूप से करना होगा।

#### 11. शोध प्रबंध.-

- (1) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा नियुक्त केन्द्रीय वैज्ञानिक सलाहकार पोस्ट ग्रेजुएट समिति हर शैक्षिक वर्ष ध्यान केंद्रित किये जाने वाले अनुसंधान और विषयों के क्षेत्र का सुझाव देगी। जिससे वैश्विक मानकों की जरूरत के आधार पर प्रमाणित सिद्ध को प्रवर्तित करने और उसे प्रकाशित करने में सहायक हो। विश्वविद्यालय समिति भी **शोध प्रबंध का शीर्षक अनुमोदन करते समय इस बात का ध्यान रखेगी।**
- (2) स्नातकोत्तर का प्रत्येक छात्र विभाग के योग्य संकाय के पर्यवेक्षण में शोध निबन्ध कार्य करेगा और विभाग के समस्त संकाय के सदस्य तीन माह में एक बार शोध-प्रबन्ध का पुनरीक्षण करेंगे।
- (3) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एम. आर.) के दिशा निर्देशों पर गठित आधार समिति के अनुमोदन के साथ शोध प्रबंध का शीर्षक एवं सार विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (4) यदि छात्र उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर शोध प्रबंध का शीर्षक एवं सार प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो अंतिम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि सार प्रस्तुत करने के समय के अनुसार 6 महीने या उससे अधिक के लिए बढ़ाई जाएगी।
- (5) प्रस्तावित योजना का सार प्रस्तावित विषय से संबंधित काम की विशेषज्ञता, कार्य योजना, विभाग का नाम, और गार्ड या पर्यवेक्षक और सह गार्ड (यदि कोई हो) के नाम व पद का संकेत होगा और विश्वविद्यालय सार जमा करने के तीन महीने के भीतर सार का अनुमोदन करेगा।
- (6) शीर्षक का अनुमोदन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान अध्ययन के एक बोर्ड का गठन करेगा।
- (7) विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर शोध प्रबंध के सार के अनुमोदन को प्रदर्शित करेगा।



- (8) शोध प्रबंध का विषय अनुसंधान उन्मुख, व्यावहारिक उन्मुख, नवीन और सिद्ध प्रणाली के विकास में सहायक हो और शोध प्रबंध का विषय विशिष्ट विषय से संबंधित होगा।
- (9) एक बार जब शोध प्रबंध के शीर्षक स्नातकोत्तर को विश्वविद्यालय के अनुसंधान अध्वन बोर्ड ने मंजुरी दे दी, उसके बाद छात्र को विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना काम के प्रस्तावित विषय के शीर्षक को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (10) किसी भी छात्र को पाठ्यक्रम के पूरा होने के छः महीने पहले शोध प्रबंध जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं 3 साल से पहले शोध प्रबंध जमा करने के बाद भी पाठ्यक्रम के तीन साल पूरा करने के लिए छात्र संस्था में नियमित रूप से अध्वन जारी करेगा।
- (11) विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शोध प्रबंध में छात्र गाइड या पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन में किये अनुसंधान के तरीको जो उसके समस्या पर छटनी की एवं पूरा किया के डाटा को सम्मिलित करेगा।
- (12) शोध प्रबंध में महत्वपूर्ण साहित्यिक समीक्षा, कार्यप्रणाली, अनुसंधान का परिणाम एवं अनुसंधान के आधार पर चर्चा, सारांश, निष्कर्ष एवं संदर्भो का समावेश होगा जिससे शोध प्रबंध प्रकाशन के लिए उपयुक्त हो।
- (13) शोध प्रबंध कम से कम चालीस हजार शब्दों से मिलकर बनेगा।
- (14) शोध प्रबंध के अंत में कम से कम पन्द्रह सौ शब्दों का सारांश एवं एक हजार शब्दों का निष्कर्ष होना चाहिए।
- (15) गाइड या पर्यवेक्षक प्रोफेसर या रीडर या व्याख्याता या एसोसिएट प्रोफेसर स्तर का होगा।
- (16) विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अध्यापन का पांच वर्ष का अनुभव रखने वाला व्याख्याता या सह-आचार्य की हैसियत का व्यक्ति शोध प्रबन्ध हेतु मार्ग दर्शक या पर्यवेक्षक होगा।
- (17) शोध प्रबंध की पांच सजिलद प्रतियां पर्यवेक्षक या मार्गदर्शक के प्रमाण पत्र के साथ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के कार्यालय में अंतिम परीक्षा से चार माह पूर्व पहुंच जानी चाहिए।
- (18) शोध प्रबंध का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त दो बाह्य और एक आंतरिक परीक्षक द्वारा किया जाएगा।
- (19) शोध प्रबंध उप विनियम (18) के अधीन नियुक्त परीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् ही स्वीकार किया जाएगा और एक बाह्य परीक्षक द्वारा अस्वीकार किए जाने की दशा में शोध प्रबंध विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित तीसरे बाह्य परीक्षक को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (20) यदि शोध प्रबंध दो बाह्य परीक्षकों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो परीक्षकों की टिप्पणियों सहित छात्र को वापिस कर दिया जाएगा और छात्र परीक्षकों की रिपोर्ट के प्रकाश में आवश्यक सुधार करने के पश्चात् शोध प्रबंध को पुनः आगे छः माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।
- (21) परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध के अनुमोदन के बाद ही छात्र को स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।
- (22) अनुशासनात्मक अनुसंधान के लिए सम्बंधित विशेषता से गाइड या पर्यवेक्षक चुना जा सकता है।
- (23) यदि पैरा-नैदानिक एवं पूर्व नैदानिक विषय छात्र शोध प्रबन्धन का प्रसंग लेता है जिसमें नैदानिक खोज सम्मिलित हो तब वह सम्बन्धित विशिष्टता के नैदानिक शिक्षक सह मार्ग दर्शक के अधीन शोध प्रबन्ध तैयार करने हेतु कार्य करेगा।
- 12. परीक्षा एवं मूल्यांकन :-** (1) स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में निम्नलिखित तरीके से दो परीक्षाएं होगी नामत-
- (क) प्रवेश के बाद प्रारंभिक परीक्षा, एक शैक्षणिक वर्ष के अंत में आयोजित की जाएगी।
- (ख) अंतिम परीक्षा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के बाद तीन शैक्षणिक वर्ष पूरे होने पर आयोजित की जाएगी।
- (ग) परीक्षा आमतौर पर जून या जुलाई और नवंबर या दिसंबर के महीने में आयोजित की जाएगी।
- (घ) परीक्षा में सफल घोषित किए जाने के लिए छात्र को प्रारंभिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण होना होगा।
- (ङ) उत्तीर्ण घोषित करने के लिए छात्र को अलग - अलग से पचास प्रतिशत अंक सिद्धांत एवं व्यावहारिक विषयों में प्राप्त करने होंगे।
- (च) अगर एक छात्र प्रारंभिक परीक्षा में विफल रहता है, उसे अंतिम परीक्षा में शामिल होने से पहले प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होगी;
- (छ) अगर छात्र अंतिम परीक्षा में प्रैक्टिकल या थ्योरी विषय में विफल रहता है, वह एक ताजा शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बिना बाद में परीक्षा में प्रकट हो सकता है ;
- (ज) विफल रहे उम्मीदवारों के लिए बाद में परीक्षा हर छह महीने के अंतराल पर आयोजित की जाएगी तथा
- (झ) छात्र को शोध प्रबंध के स्वीकृत होने व अंतिम परीक्षा में पास होने के बाद स्नातकोत्तर उपाधि से सम्मानित किया जाएगा।
- (2) परीक्षा का उद्देश्य छात्र का विशेष विषय में नैदानिक कौशल, क्षमता और व्यावहारिक पहलू में कार्यसाध्यक ज्ञान और एक विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता का परीक्षण करना होगा।
- (3) नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य छात्र का ज्ञान एवं विषय विशेष में वैज्ञानिक साहित्य को परखना होगा।
- (4) प्रैक्टिकल के मौखिक परीक्षा भाग में विशेषता के किसी भी पहलू पर व्यापक चर्चा शामिल की जाएगी।

## 13. परीक्षा के विषय :-

- (1) प्रवेश के बाद एक शैक्षणिक वर्ष के अंत में प्रारंभिक परीक्षा निम्नलिखित विषयों, में आयोजित की जाएगी नामतः प्रश्नपत्र -(1) अनुसंधान क्रियाविधि ; एवं जैव या चिकित्सा सांख्यिकी, प्रश्नपत्र -(2) संबंधित विषय की बुनियादी बातों का एंसाइड पहलु;
- (2) छात्र को संबंधित विभाग में प्रशिक्षण से गुजरना होगा और उसे अपनी चुनी गयी विशेषता में पिछले दो वर्षों के दौरान किये निम्नलिखित कार्य का मासिक रिकार्ड रखना होगा:-

- (क) विशेषता से संबंधित साहित्य का अध्ययन;
- (ख) नैदानिक विषय के छात्र के लिए अस्पताल में नियमित रूप से नैदानिक प्रशिक्षण;
- (ग) प्री क्लीनिकल और पैरा-क्लीनिकल चिकित्सीय विषय के छात्र के लिए विभाग में किये जाने वाले अनुसंधान कार्य का व्यावहारिक प्रशिक्षण;
- (घ) विभिन्न सेमिनार, संगोष्ठियों और विचार विमर्श में भाग लेना;
- (ङ) शोध प्रबंध में विषय पर किये गए कार्य की प्रगति।
- (3) प्रथम वर्ष के छात्रों द्वारा प्रथम स्नातकोत्तर वर्ष में किए गए कार्य का मूल्यांकन जैसा कि उपर्युक्त उप- नियम (2) में उल्लिखित है प्राथमिक परीक्षा के पूर्व किया जायेगा।
- (4) अन्तिम परीक्षा में शोध प्रबन्ध लिखित प्रश्नपत्र, और नैदानिक अथवा प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षण सम्मिलित होंगे।
- (5) प्रत्येक विशेषज्ञता में चार सैद्धांतिक पेपर यथा एक प्रयोगात्मक अथवा क्लीनिकल तथा मौखिक परीक्षा सम्बन्धित विशिष्टता या छात्र द्वारा चयनित उप-विशिष्टताओं अथवा समूह में विशेष अध्ययन होगा।
- (6) छात्र को उसके शोध प्रबन्ध पर आधारित उसके शोध कार्य के आधार पर कम से कम एक शोध पत्र एक जर्नल में प्रकाशित अथवा प्रकाशन हेतु स्वीकृत कराना होगा तथा क्षेत्रीय स्तर के सेमिनार में एक शोध-पत्र का प्रस्तुतीकरण करना होगा।

## 14. परीक्षा की पद्धति और परीक्षक (एस) की नियुक्ति:-

- (1) प्रारंभिक परीक्षा और अंतिम परीक्षा लिखित, व्यावहारिक, नैदानिक, और मौखिक रूप में आयोजित की जाएगी।
- (2) प्रारंभिक परीक्षा दो परीक्षकों की टीम द्वारा जिसमें से एक बाह्य परीक्षक किसी अन्य संस्था से हो और अंतिम परीक्षा चार परीक्षकों की टीम द्वारा जिसमें से दो परीक्षक बाह्य भी अन्य संस्था से हो संवाहित की जाएगी।
- (3) संबंधित विषय या विशिष्टता में पांच साल का शिक्षण अनुभव या अनुसंधान अनुभव होने पर ही शिक्षक को निरीक्षक नियुक्त करने का पात्र माना जाएगा।

15. स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सुविधाएं :- वर्जीफा और आकास्मिकता, (कॉम्प्यूटर्स) केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार, या विश्वविद्यालय, द्वारा नियंत्रित (जैसा भी मामला हो) संस्थानों में उनके द्वारा तय दरों पर दी जाएगी।

16. शिक्षक -छात्र अनुपात - (1) शिक्षक -छात्र अनुपात स्नातकोत्तर शिक्षकों की संख्या प्रत्येक वर्ष प्रवेशित स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या प्रोफेसर (1:3), सैडर (1:2) या एसोसिएट प्रोफेसर जारी रखा जाएगा।

(2) लैकचरर या सहायक/प्रोफेसर जिन्हें पाँच वर्ष का अध्ययन अनुभव होगा शिक्षक छात्र अनुपात (1:1) होगा।

17. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम छात्रों की अधिकतम संख्या :- किसी भी विशेषता में प्रतिवर्ष छात्रों की अधिकतम संख्या बारह से अधिक नहीं होगी

18. निर्देश का माध्यम :- शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी या तमिल या किसी मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषा होगी।

19. शिक्षण संकाय हेतु अर्हताएं एवं अनुभव- स्नातकोत्तर शिक्षकों हेतु शिक्षण स्टाफ के लिए अर्हताएं निम्नवत् होगी-

(क) अतिवार्य अर्हता :-

- (i) वर्तमान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सम्बन्धित विशिष्टता में अधिनियम के अनुसूचियों में सम्मिलित सिद्ध चिकित्सा की स्नातकोत्तर उपाधि एवं तालिक कालम (2) में आने वाले नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सिद्ध चिकित्सा की सम्बन्धित विशिष्टता की तालिक के कालम (3) में अंकित अधिनियम की अनुसूचियों में सम्मिलित स्नातकोत्तर उपाधि जब तक सम्बन्धित विशिष्टता के शिक्षकों की उपलब्धता होती है विचारणीय होगी।

## तालिका

क्र.सं	नया स्नातोत्तर में विशिष्टता	सम्बन्धित विशिष्टता
(1)	(2)	(3)
1.	सिद्ध मस्शुद्या अदिप्यडई अरिवियाल (सिद्ध चिकित्सा के मौलिक सिद्धान्त)	कोई भी स्नातकोत्तर विशिष्टता



2.	वर्मा मरुथुवम् (वर्मा मेडीसिन)	सिरापू मरुथुवम, विशेष चिकित्सा
3.	अरुवई मरुथुवम (सर्जरी)	कोई क्लीनिक स्नातकोत्तर विशिष्टता
4.	सूल एवं मालीर मरुथुवम (ओब्स्टेट्रिक्स एवं यनाकोलाजी)	कुन्थई मरुथुवम (पीडिट्रिक्स)
5.	थोई मरुथुवम	मरुथुवम (जनरल मेडिसिन)
6.	सिद्ध योगा मरुथुवम (सिद्ध योगिक साईन्स)	सिरापू मरुथुवम (विशेष चिकित्सा)

(ii) आधुनिक विषयों तथा अन्य समवर्गी स्वस्थ विषयों हेतु शिक्षण संकाय के मामलों में सम्बन्धित विशिष्टता में स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य है।  
(ख) वांछनीय :-

- (i) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त संबंधित विषय अथवा विशिष्टता में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एच.डी.), तथा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान अनुभव
- (ii) संबंधित विषयों पर मेडिकल जर्नल अथवा पुस्तकों में मूल प्रकाशित पत्र
- (iii) अंग्रेजी अथवा तमिल अथवा हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
- (ग) अनुभव :-

- (i) संस्था के प्रमुख (प्रधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता अथवा निदेशक) के पद हेतु अर्हता एवं अनुभव प्राध्यापक के पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं अनुभव होगा।
- (ii) प्राध्यापक के पद के लिए: संबंधित विषय में कुल 10 वर्षों का अध्यापन अनुभव अथवा 5 वर्षों का संबंधित विषय में प्रवाचक का अनुभव अथवा नियमित रूप से केन्द्र सरकार, या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश या विश्वविद्यालय या राजकीय संस्थानों के अनुसंधान परिषद् में कुल 10 वर्षों का अनुसंधान अनुभव एवं पत्रिका में पांच प्रकाशित पत्र।
- (iii) प्रवाचक एवं एसोसिएट प्राध्यापक के पद के लिए: संबंधित विषय में कुल 5 वर्षों का अध्यापन अनुभव अथवा नियमित रूप से केन्द्र सरकार, या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश या विश्वविद्यालय या राजकीय संस्थानों के अनुसंधान परिषद् में कुल 5 वर्षों का अनुसंधान अनुभव एवं पत्रिका में पांच प्रकाशित पत्र।
- (iv) सहायक प्राध्यापक एवं व्याख्याता के पद के लिए: प्रथम नियुक्ति के समय आयु 45 वर्ष से अधिक न हो एवं किसी अध्यापन अनुभव की आवश्यकता नहीं है।
- टिप्पणी 2:** नियमित डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एच.डी.) सम्बन्धित विशिष्टता पाठ्यक्रम धारक का शोध कार्य अनुभव सम्बन्धित विशिष्टता में एक वर्ष के शिक्षण अनुभव के समतुल्य माना जाएगा।
20. अनुमति की प्रकिया पूरा होने की तारीख एवं सिद्ध महाविद्यालयों में दाखिले की कट-ऑफ- डेट -
- (1) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश का अनुदान या अनुमति देने से इन्कार करने की प्रकिया प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 31 जुलाई तक पूरी की जाएगी।
- (2) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कट-ऑफ-डेट प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 30 सितंबर होगी।

क. नटराजन, निबंधक-सह-सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./290 (124)]

**टिप्पणी:**

1. मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 4 में 23 जनवरी, 1979, को प्रकाशित किए गये थे।
2. अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर सिद्ध शिक्षा) विनियम, 2016 को अन्तिम माना जायेगा।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2016

**No.18-12/2016 Siddha (Syllabus PG).**—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j),(k) of sub-section (1) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), and in supersession of the Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Education) Regulations, 1979, in so far as they relate to the post-graduate education in the Siddha system of medicine, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to regulate the post-graduate education in the Siddha system of medicine, namely:-

- (1) **Short title and commencement.**- (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Post-graduate Siddha Education) Regulations, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (2) **Definitions.**- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-
- “Act” means the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970);
  - “Council” means the Central Council of Indian Medicine;
  - “recognised institution” means an approved institution as defined under clause (a) and clause (ea) of sub-section (1) of section 2 of the Act;
  - “Degree” means a degree course in Siddha recognised under Schedules of the said Act;
- (2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

(3) **Aims and objects.**-

- (1) The aim of post-graduate education is acquisition of specialised knowledge in Siddha medicine, producing competent scholars, experts, scientists, teachers, clinicians, physicians, surgeons, obstetricians and gynaecologists in Siddha medicine, pharmaceutical experts and research workers to carry on the work relating to Siddha medicine in Universities, research laboratories and other institutions of higher learning and to create global awareness.
- (2) At the post-graduate level of teaching in Siddha medicine namely, Doctor of Medicine (M.D.) Siddha or Master of Surgery (M.S.) Siddha, students are taught about Siddha system of medicine in detail in their respective branches along with elements of modern medicine and also recent methods and advances in modern science and technology related with medical field.

- (4) **Specialities in which post-graduate degree shall be conducted.**- The post-graduate (PG) degree shall be allowed in the following specialities as under:-

S.No.	Name of speciality	Clinical or Para-clinical or Pre-clinical	The Department in which post-graduate course can be conducted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pothu Maruthuvam (General Medicine)	Clinical	Maruthuvam
2.	Pura Maruthuvam, (External therapy)	Clinical	Sirappu Maruthuvam
3.	Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics)	Clinical	Kuzhanthai Maruthuvam
4.	Nanju Maruthuvam (Toxicology)	Clinical	Sattam Saantha Maruthuvamum Nanju Maruthuvannum
5.	Varna Maruthuvam (Varma Medicine)	Clinical	Sirappu Maruthuvam
6.	Thol Maruthuvam (Dermatology)	Clinical	Maruthuvam
7.	Siddhar Yoga Maruthuvam (Siddhar’s Yogic Science)	Clinical	Sirappu Maruthuvam
8.	Aruvai Maruthuvam (Surgery)	Clinical	Aruvai, Maruthuvam
9.	Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology)	Clinical	Sool and Magalir Maruthuvam
10.	Siddha Maruthuva Adippadai ariviyal (Fundamental Principles of Siddha Medicine)	Pre-clinical	Thotrakirama Aaratachiyum Siddha Maruthuva Varalarum
11.	Gunapadam (Pharmacognosy, Pharmacology and Pharmaceutics)	Para-clinical	Gunapadam
12.	Noi Naadal (Pathology and diagnostic methods)	Para-clinical	Noi Naadal

- (5) **Nomenclature of post-graduate degree.**- The nomenclature of post-graduate degree in respective specialities shall be as under:-

S.No.	Nomenclature of speciality or degree	Abbreviation
(1)	(2)	(3)
1.	Siddha Maruthuva Peraringnar - Pothu Maruthuvam	M.D. (Siddha) General Medicine
2.	Siddha Maruthuva Peraringnar - Gunapadam	M.D. (Siddha) Materia Medica and Pharmacology
3.	Siddha Maruthuva Peraringnar - Pura Maruthuvam	M.D. (Siddha) External therapy
4.	Siddha Maruthuva Peraringnar - Kuzhanthai Maruthuvam	M.D. (Siddha) Paediatrics

S. No.	Nomenclature of speciality or degree	Abbreviation
5.	Siddha Maruthuva Peraringnar - Noi Naadal	M.D. (Siddha) Pathology and Diagnostic Methods
6.	Siddha Maruthuva Peraringnar -Nanju Maruthuvam	M.D. (Siddha) Toxicology
7.	Siddha Maruthuva Peraringnar - Siddha Maruthuva Adippadai Ariviyal	M.D.- (Siddha) Fundamental Principles of Siddha Medicine
8.	Siddha Maruthuva Peraringnar - Varma Maruthuvam	M.D. (Siddha) Varma Medicine
9.	Siddha Aruvai Maruthuva Peraringnar - Aruvai Maruthuvam	M.S. (Siddha) Siddha Surgical Procedures
10.	Siddha Maruthuva Peraringnar - Sool and Magalir Maruthuvam	M.D. (Siddha) Obstetrics and Gynaecology
11.	Siddha Maruthuva Peraringnar - Thol Maruthuvam	M.D. (Siddha) Dermatology
12.	Siddha Maruthuva Peraringnar - Siddhar Yoga Maruthuvam	M.D. (Siddha) Siddhar' s Yogic Science

**Note 1 :** The Departments and Nomenclature of post-graduate degrees of Sirappu Maruthuvam and Nanju Noolum Maruthuva Neethi Noolum have been renamed as Pura Maruthuvam, Sirappu maruthuvam and Yogam and Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum respectively.

**Note 2 :** The post-graduate degree holder with the old nomenclature (i.e. Sirappu Maruthuvam or Nanju Noolum Maruthuva Neethi Noolum) may also be appointed or continued in concerned department. The teachers who had been considered eligible in the past on the basis of previous regulations shall not be considered ineligible on the basis of amendment.

**Note 3 :** The teachers of the existing six post-graduate specialties, namely from Serial No.1 to 6 shall possess a recognised post-graduate qualification in siddha in the concerned speciality (with old or new nomenclature), whereas the teachers of the other new post-graduate specialties shall possess a recognised post-graduate qualification in siddha in any related speciality included in the Schedule to the Act.

- (1) The under-graduate institution which has completed minimum four and half years of under-graduate teaching shall be eligible for applying to start post-graduate course.
- (2) The post-graduate institute shall satisfy all the minimum requirements of under-graduate training as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016.
- (3) The post-graduate institute shall have all the equipment and research facilities required for training in the related speciality and subject as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016.
- (4) The institute shall have Central Research Laboratory and Animal House for starting postgraduate Course, Animal House shall be either owned or in collaboration.
- (5) The existing post-graduate Institutions shall fulfill the requirement as specified in subregulation (4) before the 31<sup>st</sup> December, 2016.
- (6) The additional ancillary staff like Biochemist, Pharmacologist, Bio Statistician, Microbiologist shall be provided and the Qualification for the said ancillary staff shall be post-graduate degree in the subject concerned or equivalent qualification from a recognised University.
- (7) The minimum additional teaching staff required for starting post-graduate course shall be one Professor or Reader and one Lecturer of the concerned subject, in addition to the teachers stipulated for under-graduate teaching, and the speciality which does not exist as independent department at under-graduate level shall have minimum one Professor or Reader and one Lecturer for starting post-graduate course.
- (8) The post-graduate department or speciality shall have minimum one Professor in concerned subject or speciality from the academic session 2017-18.

- (9) In each of the department of Udal Koorngal, Udal Thathuvam, Gunapadam- Maruthuivayal, Gunapadam - Marunthakaviyal, Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal and Aruvai Maruthuvam, the following non-teaching staff shall be required in addition to the undergraduate staff requirement:
- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1) Laboratory technician                    | - | 1 (one) |
| 2) Laboratory assistant                     | - | 1 (one) |
| 3) Attendant or Peon or Multipurpose worker | - | 1 (one) |
- (10) The institute shall have a fully equipped hospital consisting of minimum one hundred beds with speciality-wise adequate facilities in all departments as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016.
- (11) In the post-graduate institute having under-graduate course with upto sixty seats, ten post-graduate seats in clinical subjects shall be admissible within the bed strength as specified in sub-regulation (10) and for more than ten post-graduate seats in clinical subjects, additional beds in the student: bed ratio of 1:4 shall be provided over the bed strength as specified in the sub-regulation (10).
- (12) The post-graduate in pre-clinical or para-clinical subject as specified in regulation 4 at serial number 10 to 12 shall be admissible on the basis of bed strength as specified in the sub-regulation (10).
- (13) The post-graduate institute having under-graduate course with sixty-one to hundred seats shall require additional beds for post-graduate seats in clinical subjects in the student: bed ratio of 1:4 over the bed strength as specified in the sub-regulation (10).
- (14) The minimum annual average bed-occupancy in In-Patient department of the hospital during last one calendar year (i.e. 365 days and 366 days in case of a leap year) shall be more than fifty per cent.
- (15) Minimum daily average attendance of patients in Out-Patient Department of the hospital during last one calendar year (300 days) shall be minimum one hundred and twenty patients per day for the colleges having post-graduate course(s) with upto sixty under-graduate seats and minimum two hundred patients per day for the colleges having postgraduate course(s) with sixty-one to hundred under-graduate seats.
- (16) In clinical departments, for additional beds increased for clinical post-graduate seats, one Clinical Registrar or Senior Resident or Resident Doctor shall be provided for every twenty beds.
- 7) **Post-graduate Institute where under-graduate course is not in existence.-** The postgraduate institute where under-graduate course is not in existence shall fulfil the following requirements, namely:-
- (1) The post-graduate institute shall have fully developed Departments with infrastructure as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016, in which post-graduate course is being conducted.
- (2) The post-graduate institute shall have all the equipment and research facilities required for training in the related speciality and subject as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016.
- (3) The post-graduate institute shall have Central Research Laboratory and Animal House for starting post-graduate course, Animal House shall be either owned or in collaboration.
- (4) The existing post-graduate institutions shall fulfill the requirement as specified in subregulation (3) before the 31<sup>st</sup> December, 2016.
- (5) The additional ancillary staff like Biochemist, Pharmacologist, Bio Statistician, Microbiologist shall be provided and the Qualification for the said ancillary staff shall be post-graduate degree in the subject concerned or equivalent qualification from a recognised University.
- (6) The department, in which post-graduate course is being conducted shall have minimum three faculties: one Professor, one Reader or Associate Professor and one Lecturer or Assistant Professor; or one Professor or Reader or Associate Professor and two Lecturers or Assistant Professors in each concerned subject or speciality.
- (7) The Part time teachers in concerned speciality as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 may be engaged for teaching on part time basis.
- (8) The post-graduate department or speciality shall have minimum one Professor in concerned subject or speciality from the academic session 2017-18.
- (9) In each of the department of Udal Koorngal, Udal Thathuvam, Gunapadam - Maruthuivayal, Gunapadam - Marunthakaviyal, Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal and Aruvai Maruthuvam, the following non-teaching staff shall be required:-
- |  |   |          |
|--|---|----------|
| (i) Laboratory technician                      | - | 1 (one)  |
| (ii) Laboratory assistant                      | - | 1 (one)  |
| (iii) Attendant or Peon or Multipurpose worker | - | 1 (one). |



- (10) In each of the department other than these departments specified in sub-regulation (9), the following non-teaching staff shall be required:
- |      |  |   |          |
|------|--|---|----------|
| (i)  | Office Assistant or Data entry operator  | - | 1 (one)  |
| (ii) | Attendant or Peon or Multipurpose worker | - | 1 (one). |
- (11) Minimum one hundred beds in the hospital and minimum annual average bed-occupancy in In-Patient Department of the hospital during last one calendar year (365 days and 366 days in case of a leap year) shall be more than fifty per cent.
- (12) Minimum daily average attendance of patients in Out-Patient Department of the hospital during last one calendar year (300 days) shall be minimum one hundred and twenty patients per day.
- (13) Twenty-five post-graduate seats in clinical subjects shall be admissible within the bed strength as specified in the sub-regulation (11) and for more than twenty-five postgraduate seats in clinical subjects, additional beds in the student: bed ratio of 1:4 shall be provided over the bed strength as specified in the sub-regulation (11).
- (14) The institute conducting post-graduate course in clinical speciality shall have related Out-Patient Departments and In-patient departments and laboratory in the hospital as per the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for undergraduate Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 and the total attendance of patients in those Out-Patient Departments and In-patient departments shall be taken in to account for the purpose of determining minimum daily average attendance of patients as mentioned in sub-regulations (11) and (12).
- (15) The institute conducting post-graduate course in pre-clinical or para-clinical speciality shall have any of Out-Patient Departments and In-patient departments and related laboratory in the hospital as per the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 and the total attendance of patients in those Out-Patient Departments and In-patient departments shall be taken in to account for the purpose of determining minimum daily average attendance of patients as mentioned in sub-regulations (11) and (12).
- (16) In clinical departments, the beds for clinical post-graduate seats, one Clinical Registrar or Senior Resident or Resident Doctor shall be provided for every twenty beds.
- 8) **Mode of admission.-**
- (1) A person possessing the degree of Siddha Maruthuva Arignar (Bachelor of Siddha Medicine and Surgery) from a recognised University or Board or medical institution specified in the Schedules of the Act and enrolled in Central or State Register of Indian Systems of Medicine shall be eligible for admission in the post-graduate degree course.
- (2) The State Government or University concerned shall conduct the admission process.
- (3) The selection of candidates shall be made on the basis of final merit index calculated out of total of hundred marks based on eighty per cent, weightage to the Post-graduate entrance test and twenty per cent, weightage to the marks obtained in under-graduate course.
- (4) The Post-graduate entrance test of hundred marks shall consist of one common written test of multiple choice questions covering all the subjects of Siddha Maruthuva Arignar (Bachelor of Siddha Medicine and Surgery) course.
- (5) The minimum eligibility marks of the entrance test for admission in the case of general candidates shall be fifty per cent, of the total marks, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and regular Central or State Government service candidate shall be forty per cent, and in the case of candidates belonging to the Other Backward classes shall be forty-five per cent.
- (6) The sponsored candidates shall also be required to possess the percentage of marks specified in sub-regulation (5).
- (7) The sponsored foreign national's candidates shall not be required to possess the percentage of marks specified in sub-regulation (5).
- (8) The reservation policy of the Central Government or, the concerned State Government shall be applicable for admission of candidates.
- (9) Change of subject shall be permissible within a period of two months from the date of admission, subject to availability of vacancy and guide in the concerned department.
- 9. Duration of course and attendance.**
- (1) The student shall have to undergo a study for a period of three years after the admission.
- (2) The student shall have to attend minimum eighty per cent, of total lectures, practicals and clinical tutorials or classes to become eligible for appearing in the examination.





- (9) Once the title for dissertation is approved by the Board of Research Studies of the University, the student shall not be allowed to change the title of the proposed theme of work without permission of the University.
- (10) No student shall be allowed to submit the dissertation before six months of completion of course and the student shall continue his regular study in the institution after submission of dissertation to complete three years.
- (11) The dissertation shall contain the methods and data of the research carried out by the student on the problem selected by him and completed under the guidance of the guide or supervisor approved by the University.
- (12) The dissertation shall consist of critical review of literature, methodology, results of the research, discussion on the basis of research findings of the study, summary conclusion, and references cited in the dissertation shall be suitable for publication.
- (13) The dissertation shall consist of not less than forty thousand words.
- (14) The dissertation shall contain, at the end, a summary of not more than one thousand and five hundred words and the conclusion not exceeding one thousand words.
- (15) The guide or supervisor shall be a person of status of a Professor or Reader or Associate Professor.
- (16) The Lecturer or Assistant Professor having five years University approved teaching experience in the subject concerned shall be eligible to become guide or supervisor for dissertation purpose.
- (17) Five copies of the bound dissertation along with a certificate from the supervisor or guide shall reach the office of the Registrar of the University four months before the final examination.
- (18) The dissertation shall be assessed by two external examiners and two internal examiners appointed by the University.
- (19) The dissertation shall be accepted only after approval of examiners appointed under sub-regulation (18) and in case of disapproval by one external examiner, the dissertation shall be referred to third external examiner approved by the University concerned.
- (20) If the dissertation is not accepted by two external examiners, the same shall be returned to the student with the remarks of the examiners and the student shall resubmit the dissertation after making necessary improvement in the light of examiners' report to the University within a further period of six months.
- (21) The student shall be permitted to appear in the final examination of post-graduate degree course only after approval of the dissertation by the examiners.
- (22) Inter-disciplinary research may be done by co-opting the guide or supervisor from the concerned speciality.
- (23) If a para-clinical or pre-clinical subject student takes a thesis topic involving clinical trials then he/she shall work under co-guide of a clinical teacher of the speciality concerned for preparing the thesis.

**12. Examination and assessment.-**

- (1) The post-graduate degree course shall have two examinations in the following manner, namely:-
  - (a) the preliminary examination shall be conducted at the end of first academic year after admission;
  - (b) the final examination shall be conducted on completion of three academic years after the admission to post-graduate course;
  - (c) examination shall ordinarily be held in the month of June or July and November or December every year;
  - (d) for being declared successful in the preliminary examination, student shall have to pass all the subjects separately in preliminary examination;
  - (e) the student shall be required to obtain fifty per cent, marks in practical and theory subjects separately to be announced as pass.;
  - (f) if a student fails in preliminary examination, he shall have to pass the same before appearing in the final examination;
  - (g) if the student fails in theory or practical in the final examination, he can appear in the subsequent examination without requiring to submit a fresh dissertation;
  - (h) the subsequent examination for failed candidates shall be conducted at every six months interval; and
  - (i) the post-graduate degree shall be conferred after the dissertation is accepted and the student passes the final examination.
- (2) The examination shall be aimed to test the clinical acumen, ability and working knowledge of the student in the practical aspect of the speciality and his or her fitness to work independently as a specialist.
- (3) The clinical examination shall be to assess the competence of the student in Siddha and scientific literature of the speciality.

- (4) The *viva-voce* part of the practical examination shall involve extensive discussion on any aspect of subject or speciality.

### 13. Subjects of examination-

- (1) The preliminary examination at the end of one academic year after admission shall be conducted in the following subjects, namely:- Paper I- Research Methodology and Bio or Medical Statistics; Paper II- Applied aspects regarding concerned subjects.
- (2) The student shall have to undergo training in the department concerned and shall maintain month-wise record of the work done during the last two years of study in the speciality opted by him as under-
- study of literature related to speciality;
  - regular clinical training in the hospital for student of clinical subject;
  - practical training of research work carried out in the department, for student of pre- clinical and para-clinical subject;
  - participation in various seminars, symposia and discussions;
  - progress of the work done on the topic of dissertation.
- (3) The assessment of the work done by the students of first year post-graduate course during the first year as specified in sub-regulation (2) above shall be done before the preliminary examination.
- (4) The final examination shall include dissertation, written papers and clinical or practical and oral examination.
- (5) There shall be four theory papers in each speciality and one practical or clinical and *viva-voce* examination in the concerned speciality or group of sub-specialities selected by the student for special study.
- (6) The student shall publish or get accepted minimum one research paper on his research work in one journal and one paper presentation in regional level seminar.

### 14. Mode of examinations and appointment of examiner(s)-

- The preliminary examination and final examination shall be held in written, practical or clinical and oral examination.
- The preliminary examination shall be conducted by a team of two examiners, out of which one examiner shall be external from any other institution and the final examination shall be conducted by a team of four examiners, out of which two examiners shall be external from any other institution.
- A teacher with five years teaching or research experience in concerned subject or speciality shall be considered eligible for being appointed as an examiner.

**15. Facilities for post-graduate students.-** The stipend and contingency may be provided at the rates decided by the Central Government for institutes of its control or respective State Government for institutes of its control or University, as the case may be.

**16. Teacher student ratio.-** (1) The teacher-student ratio shall be such that the number of post-graduate teachers to the number of post-graduate students admitted per year is maintained at 1:3 in case of Professor and 1:2 in case of Reader or Associate Professor.

(2) The teacher student ratio shall be 1:1 in case of Lecturer or Assistant Professor having minimum of five years teaching experience.

**17. The maximum number of students in post-graduate course.-** The maximum number of students per year per speciality shall not exceed twelve.

**18. Medium of instruction.-** The medium of instruction shall be English or Tamil or Hindi or any recognised regional language.

**19. Qualifications and Experience for the teaching faculty.-** The qualifications and experience for the teaching staff shall be as follows, namely:-

#### (a) Essential qualification-

- Post-graduate degree in Siddha medicine included in the Schedules to the Act, of the concerned speciality in the existing post-graduate courses and for upcoming new postgraduate courses as mentioned in column (2) of the Table, the post-graduate degree in Siddha medicine included in the Schedules to the Act, of the related speciality as mentioned in column (3) of the table, shall be considered, until the availability of eligible teachers from the concerned speciality:-

TABLE

Sl. No.	New post-graduate speciality	Related speciality
(1)	(2)	(3)
1.	Siddha Maruthuva Adippadai ariviyal (Fundamental Principles of Siddha Medicine)	Any post-graduate speciality
2.	Varma Maruthuvam (Varma Medicine)	Sirappu Maruthuvam, Special Medicine
3.	Aruvai Maruthuvam (Surgery)	Any clinical post-graduate speciality
4.	Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology)	Kuzhanthai Maruthuvam (Peadiatrics)
5.	Thol Maruthuvam (Dermatology)	Maruthuvam (General Medicine)
6.	Siddhar Yoga Maruthuvam (Siddhar's Yogic Science)	Sirappu Maruthuvam, (Special Medicine)

(ii) In case of teaching faculty for modern subjects and other allied health subjects, postgraduate degree in the related speciality is essential.

**(b) Desirable-**

- (i) Doctor of Philosophy (Ph.D.) in the concerned subject or speciality recognised by the University, research experience in recognised research institutes;
- (ii) original published paper in medical journals or books on the concerned subjects;
- (iii) good knowledge in English or Tamil or Hindi.

**(c) Experience-**

- (i) **Qualification and experience for the post of Head of the Institution:** The qualification and experience for the post of Head of the Institution (Principal or Dean or Director) shall be the qualification and experience prescribed for the post of Professor.
- (ii) **For the post of Professor:** Total teaching experience of ten years in concerned subject or five years teaching experience as Associate Professor (Reader) in concerned subject or total ten years research experience in regular service in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions with not less than five papers published in a recognised journal.
- (iii) **For the post of Reader or Associate Professor:** Teaching experience of five years in concerned subject or total five years research experience in regular service in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions with not less than three papers published in a recognised journal.
- (iv) **For the post of Assistant Professor or Lecturer** at the time of first appointment, the age shall not exceed forty-five years and no teaching or research experience is required.

**Note.-** The experience acquired during a regular full time Doctor of Philosophy (Ph.D.) course in related speciality, shall be considered equivalent to one year of teaching experience in related speciality.

**20. Date of completion of permission process and cut-off-date for admission in Siddha Colleges.-**

- (1) The process of grant or denial of permission to the Siddha colleges for taking admissions in post-graduate course shall be completed by the 31<sup>st</sup> July of each academic session.
- (2) The cut-off-date for admissions in post-graduate course shall be the 30<sup>th</sup> September of each academic session.

K. NATARAJAN, Registrar-cum-Secy.

[ADV.T.-III/4/Exy./290(124)]

**Note.-** 1.The Principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 on 23<sup>rd</sup> January, 1979.

2. If any discrepancy is found between Hindi and English version of "Indian Medicine Central Council (Post-graduate Siddha Education) Regulations, 2016", the English version will be treated as final.